भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1862
(11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

एनआईआरडीपीआर का निजीकरण

1862. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) , हैदराबाद के निजीकरण पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके औचित्य और वर्तमान स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास , अनुसंधान और क्षमता निर्माण में एनआईआरडीपीआर की भूमिका पर ऐसे निजीकरण के प्रभाव का आकलन किया है;

(घ) वर्तमान में एनआईआरडीपीआर से जुड़े कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की संख्या कितनी है और निजीकरण की स्थिति में उनके कल्याण के लिए किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ; और

(ङ) क्या कोई निर्णय लेने से पूर्व कर्मचारियों , अनुसंधानकर्ताओं और ग्रामीण विकास विशेषज्ञों सहित हितधारकों के साथ परामर्श किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख) व्यय विभाग (डीओई) की सिफारिशों के आधार पर , वित्तीय सहायता और प्रशासनिक नियंत्रण के मामले में ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) से एनआईआरडी एंड पीआर को क्रमिक रूप से अलग करने का प्रस्ताव विचाराधीन है , ताकि इसे आत्मनिर्भर राजस्व स्रोतों की खोज के लिए वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाया जा सके। एनआईआरडी एंड पीआर को अलग करने का उद्देश्य इसे प्रशिक्षण और अनुसंधान में संलग्न उत्कृष्ट केंद्र/ मानित विश्वविद्यालय बनाना है।

(ग) से (ङ): मूल्यांकन अध्ययन भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय (एएससीआई), हैदराबाद द्वारा किया गया था। आज की तारीख में , एनआईआरडी एंड पीआर में 221 कर्मचारी और 331 पेंशनभोगी हैं। इसके अलावा, एनआईआरडी एंड पीआर को ग्रामीण विकास मंत्रालय से अलग करने के लिए मसौदा मंत्रिमंडलीय टिप्पणी (डीसीएन) तैयार करने की प्रक्रिया में परामर्शी दृष्टिकोण अपनाया गया है , जिसमें अंतर-मंत्रालयी परामर्श , एनआईआरडीपीआर की कार्यकारी परिषद की बैठकें और हितधारकों के साथ चर्चा किया जाना आदि शामिल हैं।

****